राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 308 /28/76/एक/2018–19 दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–प्रतापगढ़।

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	913010050056031	IFSC Code UTIB0001424	155.133

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु0न0अ0वि0 व म0ब0वि0 योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	प्रतापगढ़	म0ब0–83	न0पं0 पटटी	वार्ड नं0 01 के मो0 कुम्हिया अनु0 जाति बस्ती में बाईपास रोड से नाला तक नाली निर्माया कार्य।	5.191
2	प्रतापगढ़	मु0अ0–37	न0पं0 पटटी	वार्ड नं0 3 बीबीपुर खास में पट्टी ढकवा रोड से लाला प्रसाद के घर तक एवं पट्टी ढकवा रोड से गरीब अनु0जा0 के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	8.812
3	प्रतापगढ़	मु0अ0–37	न0पं0 पटटी	वार्ड नं0 10 चिकपट्टी में जब्बार के घर से नाला तक एवं रायपुर रोड से कठियार पुलिया तक नाली निर्माण कार्य, भोला सोनी के घर से डा0 त्रिपाठी के घर तक नाली निर्माण कार्य।	19.729
4	प्रतापगढ़	मु0अ0–37	न0पं0 पटटी	वार्ड नं0 9 तुरकान/कोईरान में पप्पू मौर्या के घर से चिन्तामणि के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.522
5	प्रतापगढ़	मु0अ0–37	न0पं0 पटटी	वार्ड नं0 7 कुम्हिया कायस्थान में गाजी बाबा के मजार से बबलू के घर तक रामनरायण सिंह के घर से जितेन्द्र सिंह के घर तक, विपिन जायसवाल के घर से रियाज के घर तक, जगदम्बा यादव के मकान से मनीष श्रीवास्तव के मकान होते हुए साधू के घर तक, मस्जिद के बगल से निखिल पाण्डेय के घर होते हुए रियासत अली के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	45.077

55/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु0न0अ0वि0 व म0ब0वि0 योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
6	प्रतापगढ	मु0अ0–37	न0पं0 पटटी	वार्ड नं0 8 चौक बाजार में जटाशंकर के मकान से नाला तक निर्माण कार्य।	5.441
7	प्रतापगढ	मु0अ0–37	न0पं0 पटटी	वार्ड नं0 6 सधईपुर कस्बा में पट्टी कुन्दनपुर रोड से छोटेलाल मौर्या के घर तक, सीसी रोड से अंकित मौर्या के घर तक, विनोद सिंह के मकान से बैजनाथ के घर तक, राम खेलावन के घर से रामराज सिंह के घर तक एवं कमला के घर से मदन के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.666
8	प्रतापगढ	मु0अ0–37	न0पं0 पटटी	वार्ड नं0 04 सधईपुर देहात में सुरेन्द्र हरिजन के मकान से मोबीन के घर तक रेडरीगारापुर रोड से निजाम के घर तक, राम आसरे के मकान से सूरसती के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.467
9	प्रतापगढ	मु0अ0–37	न0पं0 पटटी	वार्ड नं0 2 पुरानी पट्टी में राजेन्द्र वर्मा के घर से संजय के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.859
10	प्रतापगढ	मु0अ0–37	न0पं0 रानीगंज	वार्ड नं0 14 सराय सुल्तानी में बैजनाथ के घर से बेचूलाल गुप्ता के मकान तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	14.164
11	प्रतापगढ	मु0अ0–37	न0पं0 रानीगंज	वार्ड नं0 15 टोडरपट्टी में प्राथमिक विद्यालय से हरिजन बस्ती होते हुए आंगनवाड़ी केन्द्र तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.593
12	प्रतापगढ	मु0अ0–37	न0पं0 रानीगंज	वार्ड नं0 13 पूरे सुल्तानी में विभूति के घर से हरिराज यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.290
13	प्रतापगढ	मु0अ0–37	न0पं0 रानीगंज	वार्ड नं0 1 पूरे भागी में राम नरेश के घर से छोटेलाल के घर होते हुए रामदीन के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	15.322
	योग				155.133

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027

Website-sudaup.org

5513

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक